

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2024

(GCMS 2024/132)(RTI No. 212751693159863)

श्री सागर, निवासी वार्ड नं. 20, नजदीक पीएचईडी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
(मोबाईल 96941-38160)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

**31.08.2024**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सागर उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सागर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. Action Taken on Letter Number 1304 dated 20 Deceber 2020 :  
- Please provide point-wise details of the action taken on the letter numbered 1304, which was sent by the Assistant Engineer, Water Resources Department, Sadulshahar. The Letter is attached to letter number seven. Since the matter is not related to the legislature, it should not be declared confidential.
2. Other Related Letter or Materials:  
-Has any other letter or material related to the subject matter of the letter referred to in point number one been received? This includes emails or any oher form of communication. If so, please provide attested copies of such correspondence.



—2— अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2024

3. List of Contract Employees (Samvida) in the Tehsil Officer  
- Give information about the contractual staff appointed in the  
tehsil who have been regularized. If such employees are available  
then also under which law they have been regularized.

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्रांक रसद/2024/939  
दिनांक 27.08.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है  
कि अपीलार्थी श्री सागर, निवासी वार्ड नं. 20, सादुलशहर, जिला  
श्रीगंगानगर का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन  
आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 06.06.2024 को प्राप्त हुआ।  
इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25.06.2024 द्वारा इस कार्यालय में  
उपलब्ध सूचना आवेदनकर्ता को ऑनलाईन प्रेषित की गई है।  
आवेदनकर्ता द्वारा सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड  
सादुलशहर के पत्रांक दिनांक प.38ई/1340 दिनांक 30.12.2022 में  
की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई थी। उक्त पत्र के  
संबंध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों  
की प्रतियां श्रीमानजी को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित कर निवेदन है  
कि अपील को दाखिल दफ्तर करने का श्रम फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

-sd-


तहसीलदार (राजस्व)  
सादुलशहर

  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपील का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। जिसके अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को ऑनलाईन सूचना प्रेषित किया जाना अंकित किया है और सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड सादुलशहर के पत्रांक पर की गई कार्यवाही की सूचना पत्र के संलग्न प्रेषित की है, परन्तु अपीलार्थी को सूचनाएं भिजवाई गई अथवा नहीं, का अंकन नहीं है, जिससे प्रतीत नहीं होता की तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को समस्त बिन्दुओं का जवाब/सूचना दी है अथवा नहीं? इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचनाएं उन्हें पुनः उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(लोक बंधु)  
जिला कलक्टर  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर